न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 35/2021 नरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी V/S सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.9.21		Rajan Kumar I dul

प्रार्थी की ओर से वकील गोपाल डूडी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित। श्री शिम्भुराम हेड कानि. पुलिस थाना खींवसर उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी वाहन ट्रक अशोका लीलेण्ड पंजीयनसंख्या पीबी–22 के–7277 का चालक है तथा उक्त वाहन पुलिस थाना खीवसर द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 212/2021 में प्रार्थी से जब्त किये हुए है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार नहीं है। प्रार्थी ही इस वाहन का हकदार व दावेदार है, जो पुलिस थाना खींवसर में देखरेख के अभाव में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। प्रार्थी को उक्त वाहन की नितान्त आवश्यकता रहती है। पुलिस थाना खींवसर को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा आवेदन में उक्त वाहन से संबंधित असल दस्तावेज पुलिस द्वारा जब्त करना बताया है, परन्तु उक्त सभी दस्तावेज प्रार्थी के पास ही है। उक्त वाहन का आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का आज न्यायालय हाजा में उपस्थित होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने उक्त वाहन ट्रक अशोका लीलेण्ड पंजीयनसंख्या पीबी–22 के–7277 को राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व श्री शिम्भुराम हेड कानि. पुलिस थाना खींवसर ने कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पीबी–22 के–7277 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का सहित उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय मूल दस्तावेज पेश किये गये जिनका अवलोकन किया जाकर बाद अवलोकन मूल दस्तावेज पुनः वकील प्रार्थी को लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना खींवसर के प्रकरण संख्या 212/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक अशोका लेलेण्ड नम्बर पीबी–22 के–7277 की प्रकरण हाजामें अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का [illegible] प्रकरण में 13,00,000/–रूपये(अक्षरे रूपये तेरह लाख [illegible] मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर को पुलिस थाना खींवसर के प्रकरण संख्या 212/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक अशोका लेलेण्ड नम्बर पीबी–22 के–7277 को आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni

Date: 2021.11.26 18:38:12 IST

Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 35/2021 नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी v/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.9.21 (लगातार)	के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 2. कि आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा। 3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, आर.सी. होल्डर राजेश कुमार पुत्र देश राज गली नम्बर 18 पंजपीर नगर अबोहर फजिल्का अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी खींवसर को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी खींवसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल केश डायरी अनुसंधान अधिकारी को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर,नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2021.11.26 18:38:12 IST Reason: SelfAttested	